संख्या- 30 /2016/1565/सत्तर-4-2016-1515/15

प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 452 /रा0उ0शि0प0/20
दिनांक 4.01.2017

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में नेपाली छात्रों के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के छात्रावास के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में नेपाली छात्रों के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के छात्रावास के निर्माण हेतु रू0 9,52,27,000/- (रूपये नौ करोड़ बावन लाख सत्ताईस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 4,00,00,000/- (रूपये चार करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यों /मदों में किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों / मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमतिता मानी जाएगी।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 / पोस्ट ऑफिस / बैंक खाते में नहीं रखी जाएगी ।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं कार्यदायी संस्था का होगा । कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने एवं कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की बनाये रखने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था से अनुबन्ध निष्पादित कर लिया जायेगा।

4- उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस अनुदान के बिल पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत उपभोग के पश्चात द्वितीय किश्त का आहरण किया जायेगा।

7- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागर से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।

8- प्रायोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।

9- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथिरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

संजय
04/01/17

2/-
कृ0पृ0उ0

10- प्रायोजना का गठन वर्ष 2015 की कुर्सी क्षेत्रफल की दरों पर किया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

11- प्रायोजना अंतर्गत संपादित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) न हो इसको दृष्टिगत रखते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य शासनादेस सं0- 299/सत्तर-4-206, दिनांक 12 अप्रैल, 2016 द्वारा नामित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड0 डी0, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराया जायेगा।

13- प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव का लागत विश्लेषण संलग्न ।

14- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-सामान्य शिक्षा-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-19-राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार-24- वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-1862/दस-2016, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रमोद चन्द्र गुप्ता)
विशेष सचिव

संख्या- २० /2016/1565/सत्तर-4-2016-1515/15, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार को (सूचना आडिट), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा , उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. निदेशक, सी0एण्ड0 डी0 एस0 , उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
8. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
उप सचिव